

राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2019-20

10वीं कक्षा

सामाजिक विज्ञान

मॉडल पेपर-8

समय : 3¼ घंटे

(पूर्णांक : 80)

परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश :-

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
2. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
4. जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
- 5.

प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न	उत्तर की शब्द सीमा
1-10	1	20 शब्द
11-19	2	40 शब्द
20-26	4	100 शब्द
27, 29	6	150 शब्द
28	7	150 शब्द

6. प्रश्न संख्या 30 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 5 अंक का है।
7. प्रश्न संख्या 24 व 27 से 29 तक में आंतरिक विकल्प है।

1. मिताक्षरा क्या है? 1 गया है? 1
उत्तर :
मिताक्षरा हिन्दू कानून का एक आधिकारिक ग्रन्थ माना जाता है जिसके लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे।
उत्तर :
स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग योजना के तहत एनएच नं. 8 को 6 लेन राजमार्ग में बदल दिया गया है।
2. मैं मुट्ठीभर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की सल्तनत खो देता। यह किसका कथन था? 1
उत्तर :
मैं मुट्ठीभर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की सल्तनत खो देता। यह कथन शेरशाह सूरी का था।
3. लोकतंत्रीय शासन की दो विशेषताएँ बताइए। 1
उत्तर :
लोकतंत्रीय शासन की दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. जनता के हितों का रक्षण।
2. जनता के प्रति उत्तरदायित्व।
5. भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताइए। 1
उत्तर :
भारत में आर्थिक नियोजन के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1. गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना।
2. क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति करना।
6. एनआईटीआई आयोग सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा देता है? 1
उत्तर :
सभी राज्य राष्ट्रहित में एक साथ कार्य करें, इसके लिये नीति आयोग आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में सभी राज्यों को केन्द्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। इस प्रकार नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
4. किस योजना के तहत एनएच नं 8 को 6 लेन राजमार्ग में बदल दिया

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

7. 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? 1 चार उदाहरण दें। 2
- उत्तर :**
12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास रखा गया है।
8. भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु समंक संकलन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? 1
- उत्तर :**
भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु समंक संकलन का कार्य **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन** (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किया जाता है।
9. घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं? 1
- उत्तर :**
दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे-कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबन्दी आदि से उत्पन्न घर्षण बेरोजगारी।
10. मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? 1
- उत्तर :**
मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ-साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है।
11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? 2
- उत्तर :**
अनुच्छेद 217 के मुताबिक राज्य उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।
12. टांका व जोहड़ में अन्तर बताइए। 2
- उत्तर :**
- | अंतर का आधार | टांका | जोहड़ |
|--------------|---|--|
| आकार | इनका आकार प्रायः छोटा होता है। | इनका आकार टांकों की तुलना में बड़ा होता है। |
| उपलब्धता | यह प्रायः प्रत्येक घर या खेत में मिलते हैं। | ये प्रायः एक गाँव या बस्ती में एक या दो ही होते हैं। |
| अधिकार | इन पर व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है। | ये प्रायः सामुदायिक या संयुक्त अधिकार वाले होते हैं। |
13. व्यावसायिक (औद्योगिक) फसलें क्या हैं? व्यावसायिक फसलों के कोई
14. खनिज तेल से क्या आशय है? इसके उपयोग लिखिए। 2
- उत्तर :**
अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भाँति पाये जाने वाला तथा वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने तथा रासायनिक एवं तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है जिसे मशीनरी तथा परिवहन क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है।
15. राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा राज्य है। विवरण दीजिए। 2
- उत्तर :**
राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है, क्योंकि-
1. राजस्थान देश के औद्योगिक उत्पादन में केवल 6 प्रतिशत का योगदान देता है और राज्य के उद्योग राज्य की जीडीपी में केवल 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं।
 2. राज्य के अधिकांश उद्योग खनिजों और कृषि पर आधारित हैं जो राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर और पाली जिले के आसपास केंद्रीकृत हैं।
16. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? 2
- उत्तर :**
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है।
 2. इसका मुख्य लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
 3. इसका उद्देश्य टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को मुक्त करना है।
 4. यह लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
 5. यह परिवार नियोजन को एक जन केंद्रिक कार्यक्रम बनाती है।
17. स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2
- उत्तर :**
भारत सरकार 2 जनवरी, 1999 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 5846 किमी. लंबी 4 या 6 लेन वाले उच्च सघनता वाले यातायात गलियारे शामिल हैं जो देश के चार सबसे बड़े महानगरों-दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। इस परियोजना के तहत दो गलियारे जिसमें प्रथम गलियारा, उत्तर-दक्षिण गलियारा है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा दूसरा पूर्व-पश्चिम गलियारा सिल्वर तथा पोरबन्दर को जोड़ता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

18. वाहनों में ईंधन की खपत में बचत करने के उपाय बताइए। 2

उत्तर :

वाहनों में ईंधन की खपत में बचत करने के उपाय निम्न हैं-

1. CNG वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. गाड़ी की उचित देखभाल की जानी चाहिए।
3. सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।
4. मेट्रो का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए।
5. लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देना चाहिए।

19. ठोस कचरा प्रबंधन में **गैसीकरण और पाइरोलिसिस पद्धति** से आप क्या समझते हो? 2

उत्तर :

गैसीकरण एवं पाइरोलिसिस दोनों समान थर्मल प्रक्रिया हैं। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है और पाइरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। पाइरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनः भरण किया जाता है।

20. मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन को समझाइये। 4

उत्तर :

मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन हेतु नगराध्यक्ष अथवा नागरिक नामक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में 6 प्रशासनिक समितियों का वर्णन किया है। ये समितियाँ नगर प्रशासक के अधीन कार्य करती थी। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार नगर प्रशासन हेतु प्रधान समिति में 30 सदस्य होते थे जो कि नगर की चिकित्सा सेवाओं, स्वच्छता, जल व्यवस्था, सार्वजनिक सभाओं तथा साधनों की पूर्ण देखरेख करते थे। इस प्रधान समिति में से पाँच सदस्यों की 6 लघु समितियाँ भिन्न-भिन्न कार्यों का दायित्व निर्वाह करती थीं।

1. प्रथम समिति, उद्योग-धंधों का निरीक्षण।
2. द्वितीय समिति, विदेशियों की देख-रेख करना।
3. तृतीय समिति, जन्म-मरण का लेखा-जोखा करना।
4. चतुर्थ समिति, व्यापार/वाणिज्य देखना।
5. पाँचवीं समिति, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना तथा
6. छठी समिति, विक्रय मूल्य का दसवाँ भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना।

21. गुरु अर्जुनदेव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4

उत्तर :

गुरु अर्जुनदेव सिक्खों के पाँचवें गुरु थे। ये गुरु रामदास जी के सुपुत्र थे। इनकी माता का नाम बीवी भानी जी था। ये सिक्ख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शान्तिपुंज थे। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता था। जहाँगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहाँगीर ने इन्हें मृत्यु दण्ड दिया। आदिग्रन्थ का संकलन, मसन्द प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना इनके ऐसे कार्य थे जिनसे सिक्ख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुनदेव का बलिदान सिक्खों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुनदेव

का शहीद हो जाना सिक्ख धर्म के इतिहास की एक युगान्तकारी महान घटना थी, जिससे शांतिप्रिय सिक्ख संघर्ष प्रेमी हो गये।

22. कावूर पर टिप्पणी लिखिए। 4

उत्तर :

कावूर का जन्म 1810 ई. में ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। कावूर एक कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के कहने पर चार्ल्स अल्बर्ट ने सार्डीनिया में उदारवादी संविधान लागू किया था। वह पहली बार 1848 ई. में संसद का सदस्य बना था। सार्डीनिया का प्रधानमंत्री बनने के पूर्व वह कई मंत्रालयों का भार उठा चुका था। विक्टर इमैनुअल के शासनकाल में 1852 में वह सार्डीनिया का प्रधानमंत्री बना था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक। वह इटली के एकीकरण के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसका यह मानना था कि इटली का एकीकरण पिडमॉण्ट के नेतृत्व में ही हो सकता था। कावूर इटली के एकीकरण के दुश्मन ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किसी बड़ी शक्ति की मदद को जरूरी मानता था। उसने इसके लिए फ्रांस को सबसे उपयुक्त समझा तथा फ्रांस को इटली का भाग्य विधाता घोषित किया। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से प्लोम्बियर्स का समझौता कर लिया तथा 1859 ई. में फ्रांस की सहायता से आस्ट्रिया को पराजित कर दिया। विलाफेंका की सन्धि से सार्डीनिया को लोम्बार्डी मिल गया। 1860 ई. में मध्य इटली के राज्यों को भी सार्डीनिया में मिला लिया गया।

23. लोकतान्त्रिक शासन के किन्हीं तीन गुणों को बताइए। 4

उत्तर :

लोकतान्त्रिक शासन के तीन गुण निम्नलिखित हैं-

1. **सार्वजनिक हित में वृद्धि** - प्रजातान्त्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जन-प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतन्त्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
2. **कार्य-कुशल शासन** - लोकतन्त्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन-प्रणाली माना जाता है। लोकतन्त्र की कार्य-कुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे-इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनायी जाती हैं। अतः इनको लागू करने में जन-सहयोग मिलता है। लोकतन्त्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः यह शासन की कार्य-कुशलता को बनाये रखने की कोशिश करता है।
3. **स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना** - लोकतन्त्र में स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है।

24. उदारीकरण की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना

में क्या-क्या परिवर्तन उत्पन्न किए हैं? 4

उत्तर :

उदारीकरण की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन उत्पन्न किए हैं-

1. उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है।
2. उदारीकरण के कारण सरकारी प्रभाव कम हुआ है।
3. इस प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर अग्रसर हुई है।
4. उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कठोरताएँ दूर कर रही हैं।
5. उदारीकरण के कारण भारत में आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं की समाप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाएँ सरल बन गई हैं।
6. यह प्रक्रिया भारत के वित्तीय क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करने में सहायक सिद्ध हुई है।
7. अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों के समाप्त होने से भारत एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।
8. आर्थिक उदारवाद के कारण भारत सम्पूर्ण विश्व के लिए एक नई प्रयोगशाला बन गया है।

अथवा

24. भारत में निजीकरण के कोई भी चार उपायों की व्याख्या कीजिए। 4

उत्तर :

भारत में निजीकरण नीति के तहत किए गए उपाय निम्नलिखित हैं-

1. 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग की लगभग समाप्ति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या में भारी कमी ने निजी क्षेत्र के लिए विकास के नये द्वार खोल दिये।
2. निजीकरण के द्वारा 1991 में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को भी खोल दिया गया, जो अब तक निजी क्षेत्र के लिए वर्जित थे।
3. निजीकरण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश भी किया जाता है। यह भी निजीकरण का एक उपाय है। शुद्ध रूप में विनिवेश सम्पदाओं के तरलीकरण की क्रिया है, जिसमें राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है।
4. भारत में भी निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हुआ।

25. बैंकों से ऋण लेने के लिए आवश्यक शर्तों को बताइए। 4

उत्तर :

बैंकों से ऋण लेने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं-

1. सर्वप्रथम ऋण लेने के लिए आवश्यक कागजात जैसे-आय का प्रमाण-पत्र, आयु का प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराने होंगे।
2. यदि वह व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा हो तो उसे अपनी आय के विषय में ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा।
3. बैंक कर्जदार से समर्थक ऋणाधार की माँग कर सकता है, जिसमें

भूमि, पशु, सम्पत्ति एवं बैंकों में जमा-पूँजी आदि सम्मिलित होती है।

4. बैंक कर्जदार से किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी माँग सकता है जो उसके कर्ज न चुकाने पर रकम वापस कर सके।
5. जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था से कर्ज लेता है तो मूल धन लौटाने के साथ-साथ उसे एक निश्चित दर से ब्याज भी देना पड़ता है।

26. विधिक जागरूकता लाने हेतु क्या उपाय किए जाते हैं? 4

उत्तर :

विधिक जागरूकता लाने हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं-

1. विधिक जागरूकता टीम व न्यायिक अधिकाकारिगण द्वारा, विद्यालय, महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
2. 8 मोबाइल वनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु-पुस्तिकाएँ छपवाकर वितरित करवाई जाती हैं।
4. आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्प्यूनिटीरेडियो पर नियमित **कानून की बात** साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सांय 7:00 बजे से 7:30 बजे तक एवं राजस्थान के सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को सांय 5:45 बजे से 6:00 बजे तक **कानून की बात** का विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जा रहा है।

27. उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल तथा पूर्वी भारत में शुरू हुए जनजातीय विद्रोह एवं आन्दोलनों को बताइए। 6

उत्तर :

19वीं शताब्दी में बंगाल तथा पूर्वी भारत में शुरू हुए प्रमुख जनजातीय आन्दोलन निम्नलिखित थे-

1. **संथाल विद्रोह** - 1855-56 के मध्य शुरू होने वाला संथाल विद्रोह वीरभूमि, बाकुरा, सिंहभूमि, हजारी बाग, भागलपुर, मुंगेर आदि प्रदेशों में फैला हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण संथाल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा अत्याचार किया जाना, पुलिस का दमन, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण किया जाना तथा बलपूर्वक धन वसूलना था। यद्यपि 1856 में अंग्रेजों ने संथालों के विद्रोह का दमन कर दिया तथापि सरकार को स्वतन्त्र पृथक् संथाल प्रान्त बनाना पड़ा।
2. **कोल विद्रोह**- भारत में जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह का अपना एक अलग महत्त्व है। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासकों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार व शोषण के खिलाफ कोल जनजाति ने रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, प्लाभाऊ तथा मानभूमि के क्षेत्रों में विद्रोह किया। यह विद्रोह तब और अधिक बढ़ गया, जब 1831 ई. में उनकी भूमि उनके मुखिया मुण्डों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई।
3. **भील विद्रोह** - भील विद्रोह 1812-19 ई. के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खानदेश में निवास करते थे। इन्होंने कृषि सम्बन्धी समस्याओं तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण विद्रोह कर दिया। यद्यपि

सभी गुरुजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द व्हाट्सएप्प करें।
आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।

अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया परन्तु 1831 ई. और 1846 ई. में उन्होंने पुनः विद्रोह किया।

4. **रमोसी विद्रोह** – पश्चिमी घाट में रहने वाले रमोसी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से नाराज होकर 1822 ई. में उनके सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आस-पास के क्षेत्रों को लूट लिया। 1825-26 ई. में उन्होंने पुनः विद्रोह किया। अन्त में भारी सैन्य बल से ही अंग्रेज इन विद्रोहों का दमन करने में सफल हुए।

अथवा

27. राजस्थान में प्रजामण्डलों की स्थापना के उद्देश्य तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 6

उत्तर :

- राजस्थान में प्रजामण्डलों की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित थे-
 - वैध और शांतिपूर्ण उपायों से देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना।
 - सामन्ती अत्याचारों व शोषण का विरोध करना।
 - देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना।
 - देश में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान करना।
- प्रजामण्डल आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित रहीं-
 - आन्दोलन में महिलाओं का भाग लेना** – प्रजामण्डल आन्दोलन की सबसे बड़ी और मुख्य उपलब्धि यह थी कि इसने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल कर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। अनेक महिलाओं ने आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियाँ दीं। जयपुर प्रजामण्डल के आन्दोलनों में अनेक महिलाओं ने भाग लिया जिनमें रमादेवी देशपाण्डे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख थी। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरिकंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियाँ दीं।
 - सामाजिक सुधारों पर बल देना** – प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधारों, शिक्षा के प्रचार-प्रसार, बेगार उन्मूलन, दलित आदिवासियों के उत्थान आदि पर भी बल दिया।
 - जनता में राजनीतिक जागृति का संचार** – इन प्रजामण्डलों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन चलाए जिससे राजशाही और सामन्तों के शोषण से पीड़ित राजस्थान के लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई।
 - राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहन मिलना** – 1938 ई. से पूर्व देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था लेकिन प्रजामण्डलों की स्थापना के पश्चात् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन का हिस्सा बन गए। इससे भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला।

28. सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा

कैसे करता है?

7

उत्तर :

संविधान के तीसरे खण्ड में दिये गये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का आश्रय लेने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अभियोग भी सर्वोच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अवहेलना पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका या रिट देने का अधिकार दिया गया है अर्थात् नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है।

अनुच्छेद 13 के अनुसार, यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस कानून को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।

नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यशोचित निर्देश, आदेश या लेख जारी कर सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है-

- बंदी प्रत्यक्षीकरण** – बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ एक उपाय प्रदान करता है। इसके द्वारा अदालत अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का निर्देश देती है।
- परमादेश** – परमादेश द्वारा अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले एक अधिनियम को लागू करने के लिए एक निम्न अधिकारी को आदेश देती है।
- प्रतिषेध** – प्रतिषेध एक निचले प्राधिकारी को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
- उत्प्रेक्षण** – उत्प्रेक्षण के लेख द्वारा अदालत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मामले को या किसी अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए एक निम्न प्राधिकरण को आदेश देती है।
- अधिकार पृच्छा लेख** – अधिकार पृच्छा लेख एक उच्च अदालत द्वारा जारी आदेश है जिसके द्वारा यह किसी भी व्यक्ति को पूछ सकता है कि किस प्रकार उसने कानून के विरुद्ध पद अधिकार प्राप्त किया हुआ है।

अथवा

28. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के गठन का वर्णन कीजिए। 7

उत्तर :

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् का गठन – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा गया है कि **राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।** सैद्धान्तिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के गठन की प्रक्रिया निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत है-

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा में

बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमन्त्रित करने के लिए बाध्य है।

2. **प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन** – अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं
3. **मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की संख्या** – संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 91वें संविधान संशोधन (वर्ष 2003) द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। व्यवहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने दल के उन सदस्यों की एक सूची देता है, जिनको वह अपनी मन्त्रिपरिषद् में रखना चाहता है अथवा मंत्री बनाना चाहता है। इस सूची को राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् का गठन पूर्ण हो जाता है।
4. **मंत्रियों में कार्य-विभाजन** – मन्त्रिपरिषद् के गठन के पश्चात् प्रधानमंत्री का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य उनके बीच विभागों का वितरण किया जाना है, जो मन्त्री जिस योग्य होता है, उसे वैसा ही विभाग सौंप दिया जाता है। प्रायः एक मन्त्री के पास एक विभाग होता है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी एक से अधिक विभाग भी एक मन्त्री के अधीन कर दिए जाते हैं। मन्त्री को उसके कार्य में सहायता देने के लिए राज्यमन्त्री, उपमन्त्री, संसदीय सचिव आदि राजनीतिक पदाधिकारी तथा सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव के रूप में स्थायी पदाधिकारी रहते हैं।
5. **मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएँ** – संविधान के अनुसार, मन्त्रियों के लिए संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश कोई ऐसा व्यक्ति मन्त्री नियुक्त कर लिया जाता है, जो संसद का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अन्दर-अन्दर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है।
6. **मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण** – प्रत्येक मन्त्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष संविधान और अपने पद के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं निष्ठावान रहने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की तथा मन्त्रिपरिषद् की सभी नीतियों एवं कार्यवाहियों को गुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है।
7. **मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल** – संविधान में मन्त्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष है। अतः मन्त्री भी अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं।
8. **मंत्रियों की श्रेणियाँ** – मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ हैं-
 - (a) **कैबिनेट मंत्री** – कैबिनेट स्तर के मंत्री मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। ये मन्त्रिपरिषद् के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। नीति निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
 - (b) **राज्यमन्त्री** – राज्यमन्त्री प्रायः कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं लेकिन कई बार राज्यमंत्रियों को उनके विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी प्रदान कर दिया जाता है।

(c) **उपमन्त्री** – ये प्रायः विभाग के प्रभारी कैबिनेट मंत्री एवं राज्यमन्त्री के कार्यों में सहायता करते हैं एवं उनके अधीन अपने कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

9. **मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते** – प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्यमंत्रियों एवं उपमंत्रियों को मासिक वेतन एवं निर्धारित मासिक भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन एवं अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।

29. विधानसभा अध्यक्ष के कार्य तथा अधिकार लिखिए। 6

उत्तर :

विधानसभा अध्यक्ष के कार्य तथा अधिकार निम्न है-

1. अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
2. सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है।
3. सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है।
4. वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हैं।
5. सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है।
6. वह प्रश्नों को स्वीकार करता है, या नियम-विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है।
7. वह मतदान पश्चात् परिणाम की घोषणा करता है।
8. सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आये, तो वह **निर्णायक मत (Casting Vote)** का प्रयोग करता है।
9. कोई विधेयक **धन-विधेयक (Money Bill)** है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है।
10. दल-बदल सम्बन्धी याचिकाओं पर निर्णय देता है।

अथवा

29. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। 6

उत्तर :

उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-

1. **सिविल/दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार** – दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में कोई भी अपील या तो पहली अपील होगी या दूसरी अपील। पहली अपील का अर्थ है कि जिला न्यायालय या अन्य निम्न न्यायालय के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, किन्तु उस मामले में तथ्य का विधि के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई गहन प्रश्न निहित हो।

जब कोई न्यायालय अपने निम्न स्तर के न्यायालय के विरुद्ध किसी अपील पर निर्णय देता है, तो उस न्यायालय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में दूसरी बार अपील की जा सकती है। कोई भी ऐसा वाद जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, उच्च न्यायालय में अपील के रूप में लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों

में, विधि की व्याख्या से सम्बन्धित सभी विवादों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

राजस्व सम्बन्धी सभी वादों की अपील उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। उदाहरण के लिए आयकर, बिक्री कर आदि के वादों के लिए अलग-अलग न्यायाधिकरण स्थापित किये गए हैं, इनके निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि, प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता आदि अभियोगों में भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है।

2. **फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है–
 - (a) उच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक फौजदारी अधिकार के अन्तर्गत लिये गये निर्णय।
 - (b) जब जिला न्यायाधीश या किसी अन्य निर्धारित दण्डाधिकारी ने 4 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया हो।
 - (c) सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया मृत्यु दण्ड तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता है, जब तक उसे किसी उच्च न्यायालय की संपुष्टि न मिल जाए।
 - (d) किसी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय।
 - (e) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 134 के अन्तर्गत किसी जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय।
3. **संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार**– कोई भी ऐसा मुकदमा, जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

30. मानचित्र में दर्शाइए–

5

1. भारत के रेखाचित्र में भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े किन्हीं दो स्थलों को दर्शाइए।
2. भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में किन्हीं तीन तापीय ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए।

उत्तर :



सत्र 2020-21 से नये पाठ्यक्रमानुसार सभी कक्षाओं के सभी विषयों की टेक्स्ट बुक एवं सभी प्रकार की सहायक अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा एवं वेबसाइट www.rbse.online पर उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके लिये विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिये विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई OTP Verification या Email द्वारा Verification नहीं देना होगा। हमारा व्हाट्सएप नम्बर जानने या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये वेबसाइट www.rbse.online पर विजिट करें।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।